एलआईसी का न्यू एन्डॉवमेन्ट प्लान सेल्स ब्रोशर

एलआईसी का न्यू एन्डॉवमेन्ट प्लान
(यूआईएन:512N277V03)

(एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत प्लान)

एलआईसी का न्यू एन्डॉवमेन्ट प्लान एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत प्लान है जो कि सुरक्षा तथा बचत का आकर्षक मेल प्रदान करता है। यह प्लान परिपक्वता से पहले किसी भी समय मृत पॉलिसीधारक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता और जीवित पॉलिसीधारक के लिए परिपक्वता पर एक अच्छी एकमुश्त राशि का मिश्रित स्वरूप प्रदान करता है।

इस प्लान को लाइसेंस प्राप्त एजेंटों, कॉर्पोरेट एजेंटों, दलालों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदा जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं:

- प्लान सुरक्षा और बचत प्रदान करता है।
- चयन का विकल्प
  - सुविधा के अनुसार प्रीमियम भुगतान आवृत्ति चुनें।
  - वह अवधि चुनें जिसके लिए सुरक्षा चाहिए।
  - किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प चुनें।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर राइडर हितलाभों को चुनकर कवरेज बढ़ाने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से नकदीकरण की ज़रूरतों का ख्याल रखता है।

1. पात्रता की शर्तें और अन्य मर्यादाएँ:

ए)	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	: 8 वर्ष (पूर्ण)
बी)	प्रवेश के समय अधिकतम आयु	: 50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
सी)	न्यूनतम परिपक्वता आयु	: 20 वर्ष (पूर्ण)
डी)	अधिकतम परिपक्वता आयु	: 75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
ई)	न्यूनतम पॉलिसी अवधि	: 12 वर्ष
एफ)	अधिकतम पॉलिसी अवधि	: 35 वर्ष
जी)	न्यूनतम मूल बीमा राशि	: रु. 200,000
एच)	अधिकतम मूल बीमा राशि	: कोई सीमा नहीं

मूल बीमा राशि नीचे दी गई राशियों के गुणकों में होगी:

मूल बीमा राशि सीमा	बीमा राशि का गुणक
रु.2,00,000/- से रु.4,50,000/-तक	रु.5,000/-
रु.4,50,000/- से अधिक से लेकर रु.9,00,000/- तक	रु.50,000/-
रु.9,00,000/- से अधिक	रु.1,00,000/-

प्लान के अंतर्गत जोखिम आरंभ दिनांक:

जोखिम की स्वीकृति पर जोखिम तुरंत आरंभ हो जाएगा।

प्लान के अंतर्गत निहित होने का दिनांक:

यदि पॉलिसी अल्पवयस्क के जीवन पर जारी की जाती है, तो पॉलिसी स्वचालित रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी और इस तरह निहित होने पर निगम और बीमित व्यक्ति के बीच उसे एक अनुबंध माना जाएगा।

2. हितलाभ:

ए. मृत्यु हितलाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो। **''मृत्यु पर बीमा राशि''** निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, अगर कोई हो, के समान होगी। जहां **''मृत्यु पर बीमा राशि''** को मूल राशि या वार्षिकृत प्रीमियम के 7 गुणा में से, जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक अदा किए गए कुल प्रीमियम्स के 105% से कम नहीं होगा।

जहां,

i. **''वार्षिक प्रीमियम''** एक वर्ष में देय प्रीमियम होगा, जो कर, राइडर प्रीमियम, अंडरराइटिंग अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग

ii. **''कुल अदा प्रीमियम''** का अर्थ है मूल उत्पाद के अंतर्गत अदा किए गए सभी प्रीमियमों का योग, किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम और करों को छोड़कर, यदि स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो। यदि एलआईसी के प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो प्रस्तावक की मृत्यु की स्थिति में, कोई भी बाद का प्रीमियम जो माफ किया जाता है, उसे प्राप्त माना जाएगा और उसे कुल अदा किए गए प्रीमियम में शामिल किया जाएगा।

बी. परिपक्वता हितलाभ:

बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की अवधि तक जीवित रहने पर, बशर्तें पॉलिसी प्रभावी हो, **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** का भुगतान निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, अगर कोई हो, के साथ किया जाएगा। जहां **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** मूल बीमा राशि के समान है।

सी. मुनाफों में प्रतिभागिता:

पॉलिसी निगम के मुनाफे में भाग लेगी और निगम के अनुभव के अनुसार घोषित सरल प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त करने की हकदार होगी, बशर्ते कि पॉलिसी प्रभावी हो।

यदि प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी भविष्य के मुनाफे में भाग लेना बंद कर देगी, भले ही पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त किया हो या न किया हो।

हर वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक रूप से सरल प्रत्यावर्ती बोनस घोषित किया जाएगा। एक बार घोषित होने के बाद, वे निगम द्वारा घोषित नियमों और शर्तों पर योजना के गारंटीड हितलाभों का हिस्सा बन जाते हैं।

पॉलिसी अभ्यर्पित होने की स्थिति में, अभ्यर्पण की तिथि पर लागू निहित बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि हो, देय होगा।

पॉलिसी के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस भी उस वर्ष घोषित किया जा सकता है जब पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु या परिपक्वता के आधार पर ऐसी दरों और शर्तों पर दावा होता है, जैसा कि निगम द्वारा घोषित किया गया हो। अंतिम अतिरिक्त बोनस चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत देय नहीं होगा।

बीमांकिक जांच से निकलने वाले अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत किया जाएगा।

3. उपलब्ध विकल्प:

I. राइडर हितलाभ:

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर इस प्लान के तहत निम्नलिखित पाँच वैकल्पिक राइडर (या इनका संशोधित संस्करण) उपलब्ध होंगे। फिर भी, पॉलिसीधारक एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर और/या शेष तीन राइडर्स में से किसी एक को चुन सकता है, जो नीचे दी गई पात्रता के अधीन है:

ए. एलआईसी का दुर्घटना से मृत्यु एवं दिव्यांगता हितलाभ राइडर (UIN: 512B209V02)

इस राइडर को मूल प्लान की पॉलिसी अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान की शेष पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, किंतु, बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष की उम्र के होने के निकटतम जन्म दिन से पहले पॉलिसी वर्षगांठ पर हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उस पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व तक उपलब्ध होगा, जब कि बीमित व्यक्ति की उम्र निकटतम जन्मदिन पर 70 वर्ष की होती है, जो भी पहले हो। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त रूप से मूल प्लान के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) दुर्घटना के

कारण दिव्यांगता पैदा होने पर दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियम्स तथा मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि (जो कि दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान है) के अंश हेतु प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। नाबालिगों के जीवन पर ली गई पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट निवेदन को प्राप्ति पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पॉलिसी वर्षगांठ से उपलब्ध होगी।

बी. एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN: 512B203V03)

इस राइडर को मूल प्लान की पॉलिसी अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्तें मूल प्लान की शेष पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, किंतु, बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष की उम्र के होने के निकटतम जन्म दिन से पहले पॉलिसी वर्षगांठ पर हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण उस पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी वर्ष गांठ से पूर्व तक उपलब्ध होगा, जब कि बीमित व्यक्ति की उम्र निकटतम जन्मदिन पर 70 वर्ष की होती है, जो भी पहले हो। अगर इस राइडर को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त रूप से मूल प्लान के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ देय होगी। नाबालिगों के जीवन पर ली गई पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट निवेदन की प्राप्ति पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पॉलिसी वर्षगांठ से उपलब्ध होगी।

सी. एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (UIN: 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी की शुरुआत में ही उपलब्ध है। इस राइडर के तहत हितलाभ कवर पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो राइडर अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि' के बराबर राशि देय होगी।

डी. एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ लाभ (UIN: 512B204V04)

किसी प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, किसी भी समय पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर (क्योंकि बीमित व्यक्ति अवयस्क है) इस राइडर को पॉलिसी वर्षगांठ के समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकता है, बशर्तें मूल पॉलिसी तथा राइडर की प्रीमियम भरने की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। साथ ही पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर को लेने की वहां अनुमति होगी जहां इस राइडर को लेते समय बीमित व्यक्ति नाबालिग है। राइडर की अवधि यह राइडर चुनने के दिनांक के अनुसार मूल प्लान की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि या (इस राइडर का चयन करते समय 25 घटाकर नाबालिग बीमित जीवन की आयु), जो भी कमतर है, होगी। यदि राइडर अवधि प्लस प्रस्तावक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तो राइडर की अनुमति नहीं होगी।

अगर इस राइडर को लिया जाता है तो, प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि के बाद से राइडर अवधि की समाप्ति तक देय होने वाले

प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन किसी स्थिति में, अगर मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि, राइडर की अवधि से अधिक हो तो इस प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर अवधि की समाप्ति की तिथि से देय होने वाले मूल पॉलिसी के अंतर्गत अगले प्रीमियम्स का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रीमियम्स का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता पॉलिसी बन जाएगी।

ई) एलआईसी का क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर (UIN: 512BXXXV01) :

यह राइडर केवल पॉलिसी के आरंभ में ही उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध हैं :

विकल्प 1 : 15 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ

विकल्प 2 : 40 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ, जिनमें असिस्टेड लिविंग बेनिफिट (एएलबी) शामिल है।

इस राइडर के अंतर्गत बीमा–सुरक्षा राइडर अवधि के दौरान ही उपलब्ध होगी। अधिकतम राइडर अवधि 25 वर्ष के बराबर होगी, बशर्ते कि अधिकतम बीमा–सुरक्षा समापन आयु 75 वर्ष (निकटवर्ती जन्मदिन) या मूल योजना के अंतर्गत पॉलिसी अवधि, जो भी पहले हो, हो। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो इस राइडर के अंतर्गत बीमा–रक्षित की गई निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों में से किसी एक के निदान पर, शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, गंभीर बीमारी बीमा राशि देय होगी। हालांकि, विकल्प 2 के अंतर्गत, यदि निर्दिष्ट 7 गंभीर बीमारियों में से किसी का निदान होता है, तो गंभीर बीमारी बीमा राशि के 1% के मासिक भुगतान का अतिरिक्त लाभ निदान की तिथि से 36 महीने के लिए असिस्टेड लिविंग बेनिफिट (एएलबी) के रूप में देय होगा।

एलआईसी के क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर के अंतर्गत प्रीमियम मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगी। सभी अन्य जीवन बीमा राइडरों के अंतर्गत प्रीमियम मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियमों के 30% से अधिक नहीं होगी।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। हालांकि, अन्य सभी राइडरों के अंतर्गत होने वाला कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प:

प्रभावी और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या एक

हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि का पूर्ण मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी।

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5,000/–
तिमाही	रु.15,000/–
छमाही	रु.25,000/–
वार्षिक	रु.50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इस विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतानों की गणना करने के लिए लागू ब्याज दरों को निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक रूप से प्रभावी दर होगी जो 10 साल की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रति वर्ष माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 साल की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए प्रभावी ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की नियत तिथि से कम से कम 3 महीने पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान के लिए विकल्प का प्रयोग करना होगा।

प्रथम भुगतान परिपक्वता की तिथि पर या उसके बाद, पॉलिसी धारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान की विधि के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक माह या तीन माह या अर्ध वार्षिक या वार्षिक रूप से, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के पश्चात:

ए) यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है और बकाया किस्तों को परिवर्तित करना चाहता है, तो ऐसा बीमित व्यक्ति की ओर से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि, जो निम्नांकित में से जो भी अधिक होगा, होगी, का भुगतान कर दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- सभी बकाया भविष्य की किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (वह मूल राशि, जिसके लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया गया था) में से (भुगतान की जा चुकी कुल किस्तों की राशि) घटाकर।

बी. भावी किस्त भुगतानों को छूट देने के लिए उपयोग की जाने वाली लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 वर्ष की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी; जहां, 10 वर्ष की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी, जिसके दौरान निपटान विकल्प शुरू किया गया था। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी सेटलमेंट विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों को भुनाने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.07% प्रति वर्ष होगी।

सी. परिपक्वता के दिनांक के बाद, निपटान विकल्प का प्रयोग करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, बीमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, नामिती को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा और नामिती द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

III. मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प:

यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें एक प्रभावी तथा चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 साल की अवधि में किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभ के लिए किया जा सकता है। पॉलिसी धारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में या देय कुल दावा राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान अग्रिम रूप से वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा, जैसा कि भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है, जो निम्नानुसार है:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5,000/–
तिमाही	रु.15,000/–
छमाही/अर्ध वार्षिक	रु.25,000/–
वार्षिक	रु.50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है तो दावा प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 साल की अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रति वर्ष माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक, अल्पवयस्क होने पर या बीमित व्यक्ति, यदि वयस्क है, तो पॉलिसी की अवधि और शुद्ध दावा राशि जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है, को निर्दिष्ट करते हुए पॉलिसी की अवधि और शुद्ध दावा राशि के दौरान अपने जीवनकाल के दौरान इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नामिती को मृत्यु दावा राशि का भुगतान किया जाएगा और नामिती द्वारा किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. प्रीमियम का भुगतान:

प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक माध्यम (केवल एनएसीएच के माध्यम से) या पॉलिसी की अवधि के दौरान वेतन कटौती के माध्यम से किया जा सकता है।

5. अनुग्रह अवधि:

वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम कवर के साथ लागू माना जाएगा। यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी जो मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ देय हैं।

6. नमूना उदाहरण प्रीमियम:

मानक जीवन के लिए रु.2 लाख की मूल बीमा राशि के लिए नमूना उदाहरणात्मक वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार है

(राशि रु. में)

	पॉलिसी अवधि		
आयु	**15**	**25**	**35**
20	14,543	8,369	5,949
30	14,592	8,497	6,213
40	14,847	8,987	6,958

उपरोक्त प्रीमियम कर छोड़कर है।

7. छूट:

माध्यम की छूट:

वार्षिक माध्यम - सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%

अर्ध-वार्षिक माध्यम - सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%

त्रैमासिक, मासिक और वेतन कटौती - शून्य

उच्च बीमा राशि छूट (प्रीमियम पर):

मूल बीमा राशि (बी.एस.ए.)	छूट (रु.)
रु. 2,00,000 से रु.5,00,000 से कम	शून्य
रु.5,00,000 से रु.10,00,000 से कम	2.50% बी.एस.ए.
रु.10,00,000 और उससे अधिक	4.00% बी.एस.ए.

8. पुनर्चलन करना:

यदि अनुग्रह अवधि के अंदर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को न भरे गए पहले प्रीमियम की तिथि से सतत 5 वर्षों की अवधि के अंदर तथा परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलन किया जा सकता है। सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दर पर ब्याज (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) सहित तथा बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर का विकल्प चुना गया है) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर, पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेज और रिपोर्ट तथा इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना, और जैसा कि निगम की अंडरराइटिंग नीति के अनुसार आवश्यक हो, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा पुनर्चलन के समय प्रस्तुत करने पर पॉलिसी को पुनर्चलन किया जाएगा।

निगम मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या बंद की गई पॉलिसी के पुनर्चलन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद की गई पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकार कर लिया जाएगा और पुन:प्रचालन रसीद जारी कर दी जाएगी।

इस उत्पाद के तहत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुनर्चलन हेतु लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10 वर्षीय जी–सेक प्रति वर्ष प्रतिफल प्लस 3% या निगम के असंबद्ध, सहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल प्लस 1%, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 9.50% प्रति वर्ष होगी।

पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि राइडर का पुनर्चलन चुना जाता है, तो उसे केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार में लिया जाएगा, न कि अलग से।

9. चुकता पॉलिसी:

यदि एक पूर्ण वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद कोई भी प्रीमियम विधिवत अदा नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के तहत सभी हितलाभ पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के बाद और उसके बाद कोई भी प्रीमियम विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने पर पॉलिसी पूरी तरह से शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी। चुकता पॉलिसी के तहत **मृत्यु पर बीमित राशि** को ऐसी राशि तक घटा दिया जाएगा, जिसे **मृत्यु चुकता बीमा राशि** कहा जाता है और यह **मृत्यु पर बीमित राशि** के बराबर होगी, जिसे पहले से भुगतान किए गए प्रीमियम की कुल अवधि के अनुपात से गुणा किया जाएगा, जो उस अधिकतम अवधि से होगा जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे। जीवन बीमाधारक की मृत्यु पर, चुकता पॉलिसी के तहत देय मृत्यु हितलाभ, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ मृत्यु चुकता बीमा राशि होगी। यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

चुकता पॉलिसी के तहत **परिपक्वता पर बीमा राशि** को ऐसी राशि तक घटा दिया जाएगा, जिसे **परिपक्वता चुकता बीमा राशि** कहा जाता है और यह **परिपक्वता पर बीमा राशि** के बराबर होगी जिसे पहले से भुगतान किए गए कुल अवधि के अनुपात से गुणा किया जाएगा और वह अधिकतम अवधि होगी जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे। चुकता पॉलिसी के तहत, पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय परिपक्वता हितलाभ, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगी।

चुकता पॉलिसी भविष्य के हितलाभों में भाग लेने की हकदार नहीं होगी। हालांकि, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, चुकता पॉलिसी से जुड़े रहेंगे।

यदि पॉलिसी कालातीत हो जाती है, तो राइडर को कोई चुकता मूल्य हासिल नहीं होता है और राइडर हितलाभ लागू नहीं होते हैं।

10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी को पहला पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते एक पूरे वर्ष का प्रीमियम अदा किया गया हो। तथापि, पॉलिसी कम से कम दो पूरे वर्षों के प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूरे वर्ष का प्रीमियम चुकाया गया हो। चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक हो, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान किए गए प्रीमियम (अतिरिक्त प्रीमियम, करों को छोड़कर, यदि स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो और राइडर्स के लिए प्रीमियम, यदि चुना गया हो) के बराबर होगा, जिसे भुगतान किए गए कुल प्रीमियम पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारकों से गुणा किया जाएगा। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

कुल भुगतान की गई प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक

	पॉलिसी वर्ष																							
पॉलिसी अवधि	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%	51.67%	51.58%	51.50%	51.43%	51.36%	51.30%	51.25%	51.20%	51.15%	51.11%
9	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%	53.33%	53.16%	53.00%	52.86%	52.73%	52.61%	52.50%	52.40%	52.31%	52.22%
10	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%	55.00%	54.74%	54.50%	54.29%	54.09%	53.91%	53.75%	53.60%	53.46%	53.33%
11	90.00%	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%	56.67%	56.32%	56.00%	55.71%	55.45%	55.22%	55.00%	54.80%	54.62%	54.44%
12	90.00%	90.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%	58.33%	57.89%	57.50%	57.14%	56.82%	56.52%	56.25%	56.00%	55.77%	55.56%
13		90.00%	90.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%	60.00%	59.47%	59.00%	58.57%	58.18%	57.83%	57.50%	57.20%	56.92%	56.67%
14			90.00%	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%	61.67%	61.05%	60.50%	60.00%	59.55%	59.13%	58.75%	58.40%	58.08%	57.78%
15				90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%	63.33%	62.63%	62.00%	61.43%	60.91%	60.43%	60.00%	59.60%	59.23%	58.89%

पॉलिसी अवधि	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
16					90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%	65.00%	64.21%	63.50%	62.86%	62.27%	61.74%	61.25%	60.80%	60.38%	60.00%
17						90.00%	90.00%	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%	66.67%	65.79%	65.00%	64.29%	63.64%	63.04%	62.50%	62.00%	61.54%	61.11%
18							90.00%	90.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%	68.33%	67.37%	66.50%	65.71%	65.00%	64.35%	63.75%	63.20%	62.69%	62.22%
19								90.00%	90.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%	70.00%	68.95%	68.00%	67.14%	66.36%	65.65%	65.00%	64.40%	63.85%	63.33%
20									90.00%	90.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%	71.67%	70.53%	69.50%	68.57%	67.73%	66.96%	66.25%	65.60%	65.00%	64.44%
21										90.00%	90.00%	78.00%	76.25%	74.71%	73.33%	72.11%	71.00%	70.00%	69.09%	68.26%	67.50%	66.80%	66.15%	65.56%
22											90.00%	90.00%	78.13%	76.47%	75.00%	73.68%	72.50%	71.43%	70.45%	69.57%	68.75%	68.00%	67.31%	66.67%
23												90.00%	90.00%	78.24%	76.67%	75.26%	74.00%	72.86%	71.82%	70.87%	70.00%	69.20%	68.46%	67.78%
24													90.00%	90.00%	78.33%	76.84%	75.50%	74.29%	73.18%	72.17%	71.25%	70.40%	69.62%	68.89%
25														90.00%	90.00%	78.42%	77.00%	75.71%	74.55%	73.48%	72.50%	71.60%	70.77%	70.00%
26															90.00%	90.00%	78.50%	77.14%	75.91%	74.78%	73.75%	72.80%	71.92%	71.11%
27																90.00%	90.00%	78.57%	77.27%	76.09%	75.00%	74.00%	73.08%	72.22%
28																	90.00%	90.00%	78.64%	77.39%	76.25%	75.20%	74.23%	73.33%
29																		90.00%	90.00%	78.70%	77.50%	76.40%	75.38%	74.44%
30																			90.00%	90.00%	78.75%	77.60%	76.54%	75.56%
31																				90.00%	90.00%	78.80%	77.69%	76.67%
32																					90.00%	90.00%	78.85%	77.78%
33																						90.00%	90.00%	78.89%
34																							90.00%	90.00%
35																								90.00%

इसके अलावा, किसी भी निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, भी देय होगा, जो निहित बोनस के बराबर है, जिसका निहित बोनस पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक से गुणा किया जाता है। ये कारक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है और ये नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

निहित बोनस पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक																								
	पॉलिसी अवधि																							
पॉलिसी वर्ष	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%
4	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%
5	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%
6	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%
7	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%
8	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%
9	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%
10	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%
11	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%
12	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%
13		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%
14			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%
15				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%

16					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%
17						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
18							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
19								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
20									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
21										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
22											35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
23												35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
24													35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
25														35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
26															35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
27																35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
28																	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
29																		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
30																			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
31																				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
32																					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
33																						35.00%	30.00%	27.06%
34																							35.00%	30.00%
35																								35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मास्टर परिपत्र संदर्भ: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किसी भी बाद के परिपत्रों के अनुरूप सालाना की जाएगी।

राइडर पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा, यदि हो।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और कोई और हितलाभ देय नहीं होगा।

11. पॉलिसी ऋण:

निम्नलिखित के अधीन पॉलिसी अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य के अंदर ऋण उपलब्ध होगा:

i. पॉलिसी के तहत ऋण का लाभ पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद उठाया जा सकता है बशर्ते एक पूरे वर्ष का प्रीमियम चुकाया गया हो।

ii. पॉलिसी के तहत अधिकतम ऋण की अनुमति, समर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, निम्नानुसार होगी:

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान से पहले	दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	75%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	65%

iii. इस पॉलिसी के तहत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम ट्रेडिंग तिथि के अनुसार अर्ध–वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि रूप में 10 वर्षीय जी–सेक प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी प्लस 3% या निगम के असंबद्ध सहभागी निधि पर अर्जित प्रति वर्ष प्लस 1%, जो भी अधिक हो। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर 9.5% प्रति वर्ष होगी जो ऋण की पूरी अवधि के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाती है, तब निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का हकदार होगा। जब ऐसी पॉलिसियाँ बंद की जा रही हों, तो उन्हें अभ्यर्पण मूल्य और ऋण की बकाया राशि के अंतर के साथ–साथ ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान करने का अधिकार होगा।

v. ब्याज सहित कोई भी बकाया ऋण निकासी के समय दावे की आय से वसूल किया जाएगा।

12. कुछ स्थितियों में जब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरणों, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत विवरण निहित है या कोई भौतिक जानकारी रोककर रखी गई है, तो और ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य होगी और किसी भी लाभ के लिए सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

13. पॉलिसी समापन:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के पहले होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि, जिस पर एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जब पॉलिसी के अंतर्गत समर्पण लाभ का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है तो परिपक्वता की तिथि; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) पैरा 11 में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर यदि पॉलिसी, जिसने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, पुनर्चलन अवधि के अंदर पुनर्चलन नहीं की गई है; या

जी) नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एच) उपरोक्त पैरा 12 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

14. टैक्स (कर):

अगर भारत सरकार या भारत के किसी अन्य सांवधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे बीमा योजनाओं पर कोई वैधानिक टैक्स लगाया जाता है तो वह समय–समय पर लागू कर संबंधी कानूनों और कर की दर से देय होगा।

मौजूदा दरों के अनुसार लागू कर की राशि, पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम(मों) (मूल पॉलिसी तथा राइडर (रों), अगर कोई हो) पर देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के ऊपर व अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। अदा किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत आयकर लाभों/अदा किए गए प्रीमियम (मों) पर प्रभाव तथा देय हितलाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार के साथ परामर्श करें।

15. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर निगम द्वारा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई प्रीमियम की राशि को संरक्षण की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना

और राइडर(रों)के लिए, यदि कोई हो), चिकित्सा परीक्षण पर हुए व्ययों (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित) और स्टांप शुल्क की कटौती करके वापस कर दिया जाएगा।

16. अपवर्जन आत्महत्या:

i. अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति का नामिती या हितलाभर्थी मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 80% पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि पॉलिसी कार्यरत हो।

ii. अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 80% या मृत्यु की तिथि तक उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो अधिक हो, वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति का नामिती या हितलाभर्थी पॉलिसी के तहत किसी अन्य दावे का हकदार नहीं होगा।

यह खंड चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना समाप्त हो चुकी पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसियों के तहत कुछ भी देय नहीं होगा।

ध्यान दें: ऊपर वर्णित प्रीमियम में कोई कर शामिल नहीं होगा, यदि स्पष्ट रूप से एकत्र किया गया हो, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर के अलावा कोई भी राइडर प्रीमियम, यदि हो।

17. हितलाभ उदहारण:

वितरण चैनल :	**ऑफ़लाइन**	
संभावित ग्राहक / पॉलिसीधारक का नाम :		
आयु :		
बीमित व्यक्ति का नाम :		
आयु :	30	
पॉलिसी अवधि :	35	
प्रीमियम भुगतान अवधि :	35	
किस्त प्रीमियम की राशि :	6213.00	(मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम)
प्रीमियम भुगतान की विधि :	**वार्षिक**	

प्रस्ताव संख्या :	
उत्पाद का नाम :	एलआईसी का न्यू एन्डॉवमेन्ट प्लान
टैग लाइन :	एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना
विशिष्ट पहचान संख्या :	512N277V03
जीएसटी दर (पहला वर्ष) :	शून्य
जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से आगे)	शून्य
टिप्पणी : जीएसटी दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी. वर्तमान में इसकी छूट है.	

''इस हितलाभ चित्रण को कैसे पढ़ें और समझें?

इस हितलाभ चित्रण का उद्देश्य पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम और हितलाभों को वर्ष–वार, ब्याज की दो अनुमानित दरों पर, यानी 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष के अनुसार दिखाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले आपके बीमाकर्ता के भविष्य के प्रदर्शन के आधार पर प्रतिफलों के साथ परिवर्तनशील हैं। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर चित्रण तालिका में इन्हें स्पष्ट रूप से ''गारंटीकृत'' के रूप में चिह्नित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर चित्रण 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष के अनुमानित भावी निवेश प्रतिफलों की दो अलग–अलग दरें दिखाएगा। प्रतिफलों की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और आपको जो प्रतिफल वापस मिल सकते हैं, उनकी ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य के निवेश प्रदर्शन सहित अन्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है।''

पॉलिसी विवरण			
पॉलिसी विकल्प		मूल बीमा राशि रु.	200000
बोनस प्रकार	सरल प्रत्यावर्ती और अंतिम अतिरिक्त बोनस	मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) रु.	200000

प्रीमियम सारांश			
	मूल योजना	राइडर 1	कुल किस्त प्रीमियम
किस्त प्रीमियम, जीएसटी के बिना	**6213.00**		**6213.00**
किस्त प्रीमियम, पहले वर्ष के जीएसटी के साथ	**6213.00**		**6213.00**
किस्त प्रीमियम, दूसरे वर्ष से बाद के जीएसटी के साथ	**6213.00**		**6213.00**

''पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)'' वार्षिक 2 प्रीमियम (संचयी)		गारंटीकृत हितलाभ			गैर–गारंटीकृत हितलाभ, 4% प्रति वर्ष की दर से			
		गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य	मृत्यु हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	''रिवर्सनरी बोनस''	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण हितलाभ 3	विशेष अभ्यर्पण मूल्य 3	''अभ्यर्पण मूल्य''
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6213	0	200000	0	2300	0	639	639
2	12426	3728	200000	0	4600	3728	1361	3728
3	18639	6524	200000	0	6900	6662	3053	6662
4	24852	12426	200000	0	9200	12708	4341	12708
5	31065	15533	200000	0	11500	16224	5786	16224
6	37278	18639	200000	0	13800	19468	7400	19468
7	43491	21746	200000	0	16100	23454	9200	23454
8	49704	25404	200000	0	18400	27623	11214	27623
9	55917	29200	200000	0	20700	31932	13445	31932
10	62130	33134	200000	0	23000	36384	15916	36384
11	68343	37206	200000	0	25300	40986	18654	40986
12	74556	41423	200000	0	27600	45599	21696	45599
13	80769	45772	200000	0	29900	50341	25025	50341
14	86982	50258	200000	0	32200	55223	28701	55223
15	93195	54883	200000	0	34500	60248	32734	60248
16	99408	59645	200000	0	36800	65430	37161	65430
17	105621	64545	200000	0	39100	70774	42004	70774
18	111834	69583	200000	0	41400	76298	47302	76298
19	118047	74759	200000	0	43700	82004	53097	82004
20	124260	80073	200000	0	46000	87907	59434	87907
21	130473	85538	200000	0	48300	94029	66361	94029
22	136686	91129	200000	0	50600	100024	73928	100024
23	142899	96857	200000	0	52900	106199	82229	106199
24	149112	102723	200000	0	55200	112576	91344	112576
25	155325	108728	200000	0	57500	119170	101341	119170
26	161538	114870	200000	0	59800	125993	112291	125993
27	167751	121150	200000	0	62100	133061	124379	133061
28	173964	127568	200000	0	64400	140403	137669	140403
29	180177	134124	200000	0	66700	148031	152371	152371
30	186390	140836	200000	0	69000	156009	168565	168565
31	192603	147669	200000	0	71300	164339	186506	186506
32	198816	154639	200000	0	73600	173076	206345	206345
33	205029	161747	200000	0	75900	182286	228424	228424
34	211242	190118	200000	0	78200	213578	253030	253030
35	217455	195710	200000	200000	80500	223885	280500	280500

''कुल हितलाभ (गारंटीकृत और गैर–गारंटीकृत हितलाभ सहित)''							
गैर गारंटीकृत हितलाभ, 8% प्रति वर्ष की दर से				परिपक्वता हितलाभ		मृत्यु हितलाभ [4]	
''रिवर्सनरी बोनस''	कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण हितलाभ 3	विशेष अभ्यर्पण मूल्य 3	''अभ्यर्पण मूल्य''	'' कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो, 4% की दर से (5+6+ एफएबी)''	'' कुल परिपक्वता हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो, 8% की दर से (5+10+ एफएबी)''	''कुल मृत्यु हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो, 4% की दर से (4+6+ एफएबी)''	''कुल मृत्यु हितलाभ, अंतिम अतिरिक्त बोनस सहित, यदि कोई हो, 8% की दर से (4+10+ एफएबी)''
10	11	12	13	14	15	16	17
5800	0	639	639	0	0	202300	205800
11600	3728	1361	3728	0	0	204600	211600
17400	6872	4387	6872	0	0	206900	217400
23200	13136	6236	13136	0	0	209200	223200
29000	17276	8313	17276	0	0	211500	229000
34800	20730	10632	20730	0	0	213800	234800
40600	26054	13218	26054	0	0	216100	240600
46400	31000	16111	31000	0	0	218400	246400
52200	36090	19316	36090	0	0	220700	252200
58000	41329	22867	41329	0	0	223000	258000
63800	46738	26801	46738	0	0	225300	263800
69600	51953	31171	51953	0	0	227600	269600
75400	57293	35955	57293	0	0	229900	275400
81200	62779	41235	62779	0	0	232200	281200
87000	68412	47030	68412	0	0	234500	288000
92800	74233	53390	74233	0	0	236800	293800
98600	80252	60348	80252	0	0	239100	300600
104400	86517	67960	86517	0	0	241400	307400
110200	93030	76285	93030	0	0	243700	314200
116000	99828	85390	99828	0	0	246000	321000
121800	106950	95342	106950	0	0	248300	327800
127600	113561	106215	113561	0	0	250600	336600
133400	120415	118140	120415	0	0	252900	345400
139200	127570	131235	131235	0	0	255200	354200
145000	135060	145598	145598	0	0	257500	365000
150800	142919	161331	161331	0	0	259800	375800
156600	151186	178697	178697	0	0	262100	386600
162400	159934	197792	197792	0	0	264400	397400
168200	169194	218914	218914	0	0	266700	408200
174000	179099	242180	242180	0	0	269000	422000
179800	189706	267957	267957	0	0	271300	435800
185600	201132	296461	296461	0	0	273600	449600
191400	213540	328181	328181	0	0	275900	463400
197200	249278	363534	363534	0	0	278200	477200
203000	266760	491000	491000	280500	491000	280500	491000

टिप्पणी : इस चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताओं और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके। यह चित्रण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी की शुरुआत में प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित सभी राइडरों के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति प्रभार, राइडर के लिए भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए कृपया विक्रय साहित्य देखें।

3. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक होता है, वह होगा। एसएसवी की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ : संख्या IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए किन्हीं आगामी परिपत्रों के अनुरूप की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना जाता है कि बोनस इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की शर्तों और नियमों के अनुसार घोषित किए जाने पर निहित होगा।

4. किसी भी मामले में किसी भी समय कुल मृत्यु हितलाभ कुल भुगतान की गई प्रीमियमों (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो) के 105% से कम नहीं होगा। बीमांकिक जांच से निकलने वाले अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

18. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से संतुष्ट न होने वाले दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय

दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

1) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल कर सकता है.

2) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकता है.

3) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

4) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता:

   महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम लागत और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

1. पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और तथ्यों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

   स्पष्टीकरण । - इस उप-धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है :

ए. सुझाव, एक तथ्य के रूप में उस बारे में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित

स्पष्टीकरण ।। – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान–बूझकर दबाने की नहीं थी, या किसी भौतिक तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है :

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण–एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य दबाकर रखने का काम गलत तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके वैधानिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और तथ्यों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है :

इसके अलावा, यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस परवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

छूट का निषेध (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, समय–समय पर यथा संशोधित लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

फर्जी फोन कॉल एवं नकली/धोखाधड़ीपूर्ण ऑफ़रों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या उसके अधिकारी बीमा व्यवसाय से संबंधित किसी भी गतिविधि, जैसे बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियमों का निवेश, धनराशि वापस करना आदि में संलग्न नहीं होते हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

'' भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा

मार्ग, मुंबई - 400021

वेबसाईट: **www.licindia.in**

पंजीकरण संख्या: 512